न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अध्यासित)

अपील आर्म्स संख्याः 01/2020

दायर दिनांकः 04.09.2020

निर्णय दिनांक 15.03.2021

—:अनवानः—

श्री रूपलाल पिता लालू भील, निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

———अपीलांट

—:बनामः—

1. श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2. श्रीमान थाना अधिकारी महोदय, पुलिस थाना रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक राजसमन्द

———रेस्पोण्डेंट

अपील विरूद्ध आदेश कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा क्रमांक आर्म्स/2019/633 दिनांक 22.07.2019 द्वारा पारित पीठासीन उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा जिला राजसमन्द से अप्रसन्न होकर

उपस्थितः—

1— श्री आर0एल0 रावत, अधिवक्ता अपीलांट

2— पेरोकार सरकार

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट,रेलमगरा के द्वारा अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा—पत्र संख्या 69/1957 जो कि दिनांकः 23.05.2016 को नवीनीकरण विधि अनुरूप कराया जाकर हथियार लाईसेंस संख्या 69/57 दिनांक 31.12.2018 तक विधि अनुरूप नवीनीकरणशुदा हैं। उसके बाद अपीलांट के हथियार को चुनाव होने की वजह से थाने पर जमा कराया था, वर्तमान में हथियार पुलिस थाना रेलमगरा पर जमा है। उसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलान्ट को कभी भी कोई सूचना पत्र जारी नही किया और दिनांक 22.07.2019 को अपीलांट को बिना सुने, बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्ट के हथियार लाइसेंस को इस वजह से निरस्त कर दिया कि अपीलान्ट ने समय पर हथियार लाईसेंस का नवीनीकरण नही कराया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के यहॉ पर नवीनीकरण का आवेदन पेश नही किया हैं और हथियार लाईसेंस को निरस्त कर दिया जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कृत्य विधि विरूद्ध होकर अवैध हैं। अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाकर आदेश कमांकः आर्म्स/2019/633 दिनांकः 22.07.2019 से अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को

निरस्त कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट्स को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

सर्वप्रथम उभयपक्ष की दफा 5 मयाद अधिनियम के प्रा0पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश का होकर कानून की जानकारी नहीं रखता हैं। अतः विलम्बित अवधि को कण्डोन की जाकर अपीलांट की अपील को मयाद में शुमार करानें का आदेश फरमाया जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने इस कथन के समर्थन में अपीलांट का शपथ–पत्र पेश किया गया। पेरोकार सरकार की ओर से इस हेतु कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में न्यायहित में विलम्बित अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि में शुमार की जाती हैं।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बताया कि अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 69/1957 टोपीदार बंदुक का होकर दिनांक 31.12.2018 तक नवीनीकरण था । अपीलांट के हथियार को चुनाव होने की वजह से थाने पर जमा कराया था वर्तमान में हथियार पुलिस थाना रेलमगरा पर जमा है। उसके बाद रेस्पोडेन्ट से अपीलांट को कभी भी कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया और दिनांक 22.07.2019 को अपीलांट को बिना सुने, बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट के हथियार लाईसेन्स को निरस्त कर दिया इस लिए समय पर नवीनीकरण हेतु आवेदन पेश नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में यह फाईण्डिंग दी है कि ''अपीलांट स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरीत प्राप्त सुचना पत्र के आधार पर शस्त्र लाईसेन्स संख्या 69/57 टोपीदार बन्दुक लाईसेन्स को निरस्त किया जाता है '' जबकि वास्तव में अपीलांट अनपढ व्यक्ति है, हस्ताक्षर कर ही नही जानता तो तामिल किस व्यक्ति पर हस्ताक्षरीत कराई, कब कराई इस तरह का कोई उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली अथवा आदेश मे नहीं करके भारी कूननी भूल की है। अपीलांट वर्ष 1957 से लगायत अपील प्रस्तुत करने की दिनांक तक किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा न तो दर्ज हुआ है न ही विचाराधीन है, न ही अपीलांट सजायाप्ता है। इस विधिक बिन्दु पर अधीनस्थ न्ययालय जो आदेश पारित किया है वह खारिज योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में अनुरोध हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाकर अपीलांट के शस्त्र लाईसेंस सं0 69/1957 जो कि दिनांकः 31.12.2018 तक नवीनीकृत था, के आगे नवीनीकरण करने का आदेश प्रदान कराना फरमावें।

पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नवीनीकरण की अवधि समाप्त होने के आधार पर अपीलांट के शस्त्र लाईसेंस को निरस्त किये जाने हेतु पारित आदेश न्यायोचित होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य हैं।

दोनों पक्षों की बहस पर गहन मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इसमें संलग्न अपीलांट के लाईसेंस के अवलोकन पर पाया गया कि अपीलांट का शस्त्र लाईसेंस स्वयं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,रेलमगरा के द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक के लिए नवीनीकरण किया गया था अनुज्ञा पत्र शस्त्र लाईसेन्स को आगामी अवधि दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक नवीनीकरण के संबंध मे आवेदन पत्र प्रस्तुत करना था उस समय चुनाव होने की वजह से थाने पर जमा कराया था वर्तमान में हथियार

पुलिस थाना रेलमगरा पर जमा है। उसके बाद रेस्पोडेन्ट से अपीलांट को कभी भी कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया और दिनांक 22.07.2019 को अपीलांट को बिना सुने, बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट के हथियार लाईसेन्स को निरस्त कर दिया। परिणाम स्वरुप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 69/57 का नवीनीकरण नहीं कर उक्त लाईसेंस को निरस्त किये जाने सम्बंधी पारित आदेश दिनांकः 22.07.2019 न्यायोचित नहीं होना पाया जाता हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य होना प्रकट हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट,रेलमगरा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 22.07.2019 को अपास्त किया जाता हैं। उपखण्ड मजिस्ट्रेट,रेलमगरा को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलांट को सुना जाकर अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 69/57 का नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 15.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)